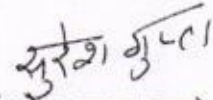


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर पश्चिम)

जिला न्यायालय रोहिणी: दिल्ली

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.07.2021 को जारी किये गये आदेश संख्या 22839-22914/प्रशासन अनुभाग-III (उ० प०)/रोहिणी न्यायालय/2021 दिल्ली का अधिक्रमण करते हुए, पुर्व में विद्यमान उपस्थिति प्रणाली को, एतद् द्वारा पुनः बहाल किया जाता है। तदनुसार जिला न्यायालय उत्तर-पश्चिम के न्यायालयों एवं अनुभागों में कार्यरत सभी अर्दलियों/चपरासियों को निदेश दिया जाता है कि वे सभी कार्यदिवसों में अपनी वर्दी पहनकर एवं पहचान पत्र को भली-भांति प्रदर्शित करते हुए सुबह एवं शाम में अपने तैनाती स्थल (न्यायालय अथवा अनुभाग) पर उपलब्ध उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।



(सुरेश कुमार गुप्ता)

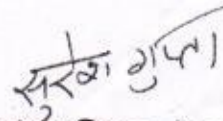
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जिला न्यायालय रोहिणी (उ/प), दिल्ली।

संख्या 15832-16012/प्रशासन अनुभाग-III (उ० प०)/रोहिणी न्यायालय/2022 दिल्ली, दिनांक 07/06/2022

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. निजि सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
2. निजि सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
3. संबंधित न्यायाधीश, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
4. सभी अर्दलियों/चपरासियों को उनके पीठासीन अधिकारी (उ०/प०), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के माध्यम से।
5. सभी अर्दलियों/चपरासियों को उनके पीठासीन अधिकारी (उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के माध्यम से।
6. वेबसाईट समिति अंग्रेजी/हिन्दी, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
7. सहायक जन संपर्क अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
8. अभिलेख अधिकारी, सूचना का अधिकार, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
9. लेयरस सीट, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जिला न्यायालय रोहिणी (उ/प), दिल्ली।